UPMO010060732026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1643/2026

मोनू दिवाकर उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र लक्ष्मण प्रसाद, निवासी वार्ड नं0–44, गली नं0–01, पीतल नगरी, थाना–कटघर, मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–75/2026,
धारा–305(a), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद।

29.05.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त मोनू दिवाकर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–75/2026, धारा–305(a), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की माता/पैरोकार श्रीमती सीमा देवी पत्नी लक्ष्मण प्रसाद द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा श्रीमती शिल्पी सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 19.02.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, वादिनी शिल्पी सिंह पत्नी महेन्द्र सैनी, सीतापुरी थाना कटघर जिला मुरादाबाद की निवासी है। वह दिनांक 11.02.2026 को किसी कार्य हेतु अपनी रिश्तेदारी में गयी हुई थी। जब वह दिनांक 16.02.2026 को वापस अपने घर आयी, तो घर का ताला टूटा हुआ मिला एवं घर पर रखी हुई प्रेस, पानी की बोतल, कुछ आर्टिफिशियल ज्वैलरी, कुछ सोने और चाँदी के

आभूषण चोरी कर ली गई। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा धारा–305(a) बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना गिरफ्तारी/फर्द बरामदगी के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा मामले में धारा–331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता की वृद्धि की गयी।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि,आवेदक को उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया है, वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दर्शित घटना, घटनास्थल पर घटना दिनांक व समय पर मौजूद नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। जिस प्रकार से घटना दर्शायी गयी है, उससे समस्त केस झूठा व संदिग्ध प्रतीत होता है। दर्शित घटना की कोई भी पब्लिक का चश्मदीद व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक को थाना पुलिस द्वारा घर से गिरफ्तार किया गया है। वह दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध है। वह सजायाफ्ता नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के घर से घरेलू सामान व आभूषणों की चोरी की गयी है तथा दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण, वादिनी मुकदमा के घर से आवेदक/अभियुक्त द्वारा चोरी करने तथा दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त के पास से चोरी की पीली धातु की चूड़ी 16 अदद, पीली धातू की अंगूठी 01 अदद, चाबी का छल्ला 01 अदद, सफेद धातु की चूड़ी 06 अदद, सफेद धातु के बिछुए 06 अदद, प्लास्टिक की पानी की बोतल, पीतल की फूलदानी 01 अदद, लोटा पीतल का 01 अदद, एक अदद लोहे का फायर सेफ्टी उपकरण, एक अदद इलेक्ट्रॉनिक प्रेस सीलवरटोन कम्पनी की व दो अदद बैंक की पास बरामद होने से सम्बंधित है। अभियोजन के अनुसार,

वादिनी दिनांक 11.02.2026 को किसी कार्य हेतु अपनी रिश्तेदारी में गयी हुई थी। जब वह दिनांक 16.02.2026 को वापस अपने घर आयी, तो घर का ताला टूटा हुआ मिला एवं घर पर रखी हुई प्रेस, पानी की बोतल, कुछ आर्टिफिशियल ज्वैलरी, कुछ सोने और चाँदी के आभूषण चोरी कर लिये गये। अर्थात् अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त के पास से उपरोक्त बरामदगी होने का प्रश्न है, इस सम्बंध में अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन के अनुसार मामला सात वर्ष व उससे कम के दण्ड से दण्डनीय अपराध है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहां तक अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के सात अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे आवेदक/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मोनू दिवाकर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1643/2026, मुकदमा अपराध संख्या–75/2026, धारा–305(a), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0–75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2

दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत आवेदक/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार–IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।
J.O. Code–UP6124